

अ0शा0 परिपत्र संख्या—डीजी-12/2023

देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0



पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
पुलिस मुख्यालय,
शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार,
लखनऊ-226002

दिनांक: लखनऊःमार्च 29, 2023

विषय:- एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय/थानों/जोनल आपरेशनल इकाईयों में कार्मिकों की सम्बद्धता/नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रिय

आप अवगत ही हैं कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-09 कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2920 / छ-पु-9-22-31(133) / 2019 दिनांक 04.08.2022 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध के पर्यवेक्षणाधीन प्रदेश में "एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स" (ANTF) का गठन किया गया है तथा वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों अथवा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ही ANTF का क्रियान्वयन किया जाना प्राविधानित है। शासनादेश में ANTF का संगठनात्मक ढांचा (मुख्यालय एवं ऑपरेशनल यूनिट) निम्नवत् तय किया गया है-

IG ANTF - कार्यालयाध्यक्ष		
SP-ANTF (OPERATIONS)		SP-ANTF (HQ/ADMIN/TRAINING)
Addl-SP OPS		Addl-SP HQ
Dy-SP OPS		Dy-SP HQ

OPS (OPERATIONS) UNIT

WEST Region		CENTRAL Region		EAST Region	
MRT Zone	Dy SP	LKW Zone	Dy SP	PRJ Zone	Dy SP
BLY Zone	Dy SP	KNR Zone	Dy SP	GKR Zone	Dy SP
AGA Zone	Dy SP			VNS Zone	Dy SP

2— उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-4211(ए) / छ:-पु0-9-22-31(133) / 2019 दिनांक 15.12.2022 द्वारा प्रथम चरण में जनपद बाराबंकी, गोरखपुर व मेरठ में नारकोटिक्स थाने तथा शासनादेश संख्या-5330 / छ:-पु0-9-22-31(133) / 2019 दिनांक 24.01.2023 द्वारा द्वितीय चरण में जनपद सहारनपुर, गाजीपुर व झांसी में नारकोटिक्स थाने स्थापित किये गये हैं।

3— इस प्रकार प्रदेश में प्रत्येक जोन स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक के नियंत्रणाधीन 01 ऑपरेशनल इकाई (कुल-08) तथा जनपद बाराबंकी, गोरखपुर व मेरठ, सहारनपुर, गाजीपुर व झांसी में (कुल 06) नारकोटिक्स थानों की स्थापना की गयी है। प्रदेश में एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पर्यवेक्षण का कार्य एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है।

4— उपरोक्त शासनादेश दिनांक-04.08.2022 के बिन्दु संख्या-02 में एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संरचना एवं शक्तियाँ प्रदान की गयी है, तथा इस बिन्दु के प्रस्तर-05 में उसको परिभाषित करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों, माफियाओं और गिरोहों के विरुद्ध एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को अपने कार्य क्षेत्र में Search, seizure, गिरफ्तारी, अभिरक्षा, कुर्की व विवेचना की वही शक्तियाँ दी गयी हैं, जो एनडीपीएस एक्ट, द0प्र0सं0 व अन्य विधियों के अधीन जनपदीय पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हैं।

.....

5- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 04.08.2022 के विन्दु-02 के प्रस्तर-03 के अनुसार एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स(ANTF) में ड्रग कन्ट्रोल एजेन्सियों के अधिकारी तथा यदि नियमानुसार सम्भव हो तो केन्द्र की अन्य विशिष्ट इकाईयों जैसे एन0सी0वी0, सी0वी0एन0, डी0आर0आई0 आदि से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जायेगा।

6- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 के पत्रांक-डीजी-सात-एस-3(05)/2022 दिनांक 01.07.2022 एवं दिनांक 25.08.2022 द्वारा एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स में उपरोक्त पदों के अतिरिक्त ANTF के संचालन हेतु प्रस्तावित किए गए पदों के अनुरूप वर्तमान में एएनटीएफ मुख्यालय, जोनल ऑपरेशनल यूनिट एवं थानों पर नियुक्ति हेतु पदों की संख्या निम्नवत् है—

मुख्यालय हेतु		08 ऑपरेशनल इकाई हेतु		06 थानों हेतु	
पद	संख्या	पद	संख्या	पद	संख्या
निरीक्षक	02	निरीक्षक	08	निरीक्षक	06
उपनिरीक्षक	06	उपनिरीक्षक	08	उपनिरीक्षक	24
मुख्य आरक्षी	08	मुख्य आरक्षी	16	मुख्य आरक्षी	60
आरक्षी	10	आरक्षी	32	आरक्षी	120
एसआईएम(स्टेनो)	05	एसआई(एम)	08	आरक्षी चालक	12
एसआई(एम)	02	एएसआई(एम)	08	कम्प्यूटर आपरेटर	18
एसआई(एम) लेखा	01	आरक्षी चालक	16	चतुर्थ श्रेणी	18
एएसआई(एम)लेखा	01	कम्प्यूटर आपरेटर	08	—	—
आरक्षी चालक	07	चतुर्थ श्रेणी	16	—	—
कम्प्यूटर आपरेटर	02	ड्रग इन्सेपेक्टर	08	—	—
चतुर्थ श्रेणी	10	फार्मा	08	—	—
योग	54	योग	136	योग	258

एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स में नियुक्ति हेतु निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी, आरक्षी चालक, उपनिरीक्षक(गोपनीय), उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक), उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) तथा कम्प्यूटर आपरेटर के चयन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी—

(1) अहंता—

- आरक्षी हेतु अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष, मुख्य आरक्षी हेतु 45 वर्ष, उपनिरीक्षक हेतु 50 वर्ष एवं निरीक्षक के अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी।
- गोपनीय सहायक संवर्ग/लिपिक संवर्ग/लेखा संवर्ग तथा कम्प्यूटर आपरेटर हेतु उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी।
- इस इकाई हेतु उक्त पुलिस कर्मियों की सम्बद्धता अवधि सामान्यतः 03 वर्ष के लिए होगी, जिसे आवश्यकतानुसार 02-02 वर्ष के लिए अधिकतम दो बार बढ़ाया जा सकता है।
- किसी कर्मी की विशेष योग्यता होने पर कम अवधि के लिए भी सम्बद्ध किया जा सकता है।
- कार्मिक की, उसकी सेवा अवधि में अथवा विगत 03 वर्षों में सत्यनिष्ठा संदिग्ध न हो तथा उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो और दीर्घ या लघु दण्ड न प्रदान किया गया हो।
- कार्मिक के विरुद्ध आपराधिक अभियोग अथवा विभागीय कार्यवाही प्रचलित न हो।
- ऐसे कार्मिकों को जिनके द्वारा विगत 03 वर्षों में नार्कोटिक्स/ड्रग्स/शराब/शस्त्रों की बरामदगी के सम्बन्ध में उल्लेखनीय कार्य किया गया हो, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- उपर्युक्त अहंता के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदन के उपरान्त ही कोई शिथिलीकरण किया जा सकता है।

मुमुक्षु

(2) चयन प्रक्रिया

वर्ष की प्रथम तिमाही एवं आवश्यकतानुसार ANTF मुख्यालय द्वारा निरीक्षक से आरक्षी स्तर तक के पदों को भरने हेतु उपरोक्तानुसार अहताएं रखने वाले कर्मियों के नामांकन हेतु निर्देश निर्गत किये जाएंगे। तदनुसार सभी जनपदों में उपरोक्त अहता रखने वाले कर्मियों के नामांकन ANTF मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाएंगे। उक्त नामांकन के आधार पर अनुभवी, दक्ष व कुशल कर्मियों का चयन सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे:-

- पुलिस महानिरीक्षक ANTF / पुलिस उपमहानिरीक्षक ANTF (कार्यालयाध्यक्ष) -अध्यक्ष
- पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, ANTF / अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, ANTF -सदस्य
- पुलिस अधीक्षक, आपरेशन, ANTF / अपर पुलिस अधीक्षक, आपरेशन, ANTF -सदस्य

ANTF कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक की नियुक्ति न होने/अनुपस्थिति की दशा में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित अधिकारी उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे।

पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति न होने/अनुपस्थिति की दशा में सम्बद्धित अपर पुलिस अधीक्षक तथा अपर पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति न होने/अनुपस्थिति की दशा में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित अधिकारी उक्त समिति के सदस्य के रूप में प्रतिभाग करेंगे।

उपरोक्त समिति द्वारा चयनित कार्मिकों का अनुमोदन अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात इन चयनित कार्मिकों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में संस्तुति स्थापना शाखा को उपलब्ध करायी जायेगी। स्थापना शाखा के द्वारा प्रचलित शासनादेश एवं दिशा-निर्देशों के अधीन नीतिगत/विधिक बाधा न होने की दशा में उपलब्ध सूची के अनुसार कार्मिकों को एण्टी नार्कोटिक्स टार्स्क फोर्स, उ०प्र० हेतु सम्बद्ध किया जायेगा।

(3) स्थानान्तरण

एण्टी नार्कोटिक्स टार्स्क फोर्स, उ०प्र० हेतु कार्मिकों के नियमित पद स्वीकृत होने एवं डी०डी०ओ० कोड आवंटित होने के पश्चात ANTF में कार्मिकों की नियुक्ति ANTF की संस्तुति के कम में स्थापना शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा की जाएगी। एण्टी नार्कोटिक्स टार्स्क फोर्स, मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ में स्थापना शाखा द्वारा नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात आवश्यकतानुसार जोनल यूनिट व थानों में तथा अन्य यूनिट से थाना अथवा थाना से अन्य यूनिट पर स्थानान्तरण के लिए कार्यवाही एण्टी नार्कोटिक्स टार्स्क फोर्स मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा की जाएगी।

(4) अन्य

- (i) एण्टी नार्कोटिक्स टार्स्क फोर्स की किसी भी जोनल यूनिट/थाने पर नियुक्ति तथा उसकी अधिकतम अवधि तत्समय प्रचलित स्थानान्तरण नीति एवं निर्देशों के अनुरूप होगी।
- (ii) प्रशासनिक कारणों से अथवा जनहित में किसी भी कर्मी को समयावधि पूर्ण होने के पूर्व एण्टी नार्कोटिक्स टार्स्क फोर्स से बाहर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

मेरम् २९/३/२०२३
(देवेन्द्र सिंह चौहान)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।